न्यायालय, राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार

(अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016)

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिन कोड-800015

दूरभाष सं०-0612-2215041,2215152, **E-mail-scdisablity-bih@gov.in, Website :- scdisabilities.com**

परिवाद सं०-

पत्रांक-.................. दिनांक-..............

सेवा में,

श्री...

परिवादी का नाम (पता सहित)

महाशय,

कृपया हाथों हाथ/डाक/ई-मेल माध्यम से इस कार्यालय को समर्पित अपने परिवाद पत्रांक-................, दिनांक-................, का संदर्भ ग्रहण करें।

दिव्यांगजन अधिकार नियम, **2017** के नियम 38 (1) के अनुसार आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय को समर्पित परिवाद में निम्न विवरण अंतर्विष्ट होने चाहिए :-

(क) व्यथित व्यक्ति का नाम, वर्णन (जन्म तिथि, लिंग) और पता (ई-मेल, सम्पर्क मोबाइल / दूरभाष नम्बर)।

(ख) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या पक्षकारों/उतरदायी पदाधिकारी का नाम, वर्णन और पता/ पते (ई-मेल, सम्पर्क मोबाइल/दूरभाष नम्बर) जहाँ तक उन्हें अभिनिश्चित किया जा सकेगा।

(ग) परिवाद से सम्बन्धित तथ्य और वह कब और कहाँ उद्भूत हुआ।

(घ) परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज।

(ङ) वह मांग जिसके लिए व्यथित व्यक्ति दावा करता है का स्पष्ट विवरण।

(च) स्वअभिप्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।

(छ) एक वचनबंध कि प्रस्तुत मामला भारत वर्ष के किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

आपके द्वारा कार्यालय को समर्पित उक्त परिवाद पत्र के परीक्षणोंपरांत पाया गया कि आपके परिवाद पत्र में उक्त उल्लिखित बिन्दुओं में से बिन्दु .., एवं ( ) से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

तदनुसार उक्त संदर्भित नियम के आलोक में अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में विवरण अंकित करते हुए पूर्ण परिवाद पत्र कार्यालय को एक माह के भीतर समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

परिवाद के संबंध में यथाविहित विवरण निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में परिवाद को अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

राज्य आयुक्त नि:शक्तता
बिहार, पटना।